न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
(जिला भीलवाड़ा राज.)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—34 / 19 (2019 / 00004) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रंगलाल आत्मज हुक्मा कुम्हार निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—गोपीलाल आत्मज हुक्मा कुम्हार निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—बाली पुत्री हुक्मा कुम्हार निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—रामेश्वर आत्मज नाथु सुथार निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—अम्बु आत्मज नाथु सुथार निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मथरी बेवा नाथु सुथार निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1.—फायख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 14.08.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 125 रकबा 0.75 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 125 में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, पैदल सहित आवागमन ग्राम शिवनाथपुरा में खेतो में जाने वाले रास्ते के पूर्व तरफ स्थित विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 126 की उतरी पाली पर होकर आराजी संख्या 125 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता करीब 15 फीट चौड़ाई मे है तथा उक्त आराजी संख्या 126 की उतरी पाली पर डोटेड लाईन से रास्ता दर्शा रखा है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 125 में आवागमन करने का कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से मौजुद नही है। यही एक मात्र रास्ता है जिससे प्रार्थीगण आवागमन कर अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करते है। जिससे यह रास्ता अत्याधिक आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थीगण वर्षो से इसी रास्ते से से लगातार व बरोकटोक आवागमन करते चले आ रहे है किन्तु दिंनाक 14.01.2019 को विपक्षीगण ने धमकी दी तुम इस रास्ते से मत आना क्योकि यह रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही है व रास्ता बन्द कर दिया है। जिससे इस रास्ते को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता बिलानाम दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है इस हेतु प्रार्थीगण डीएलसी दर से जो भी न्यायालय आदेश प्रदान करे उसके मुताबिक मुआवजा राशि जमा कराने को तैयार है। यह रास्ता प्रार्थीगण के सुविधाजनक उपभोग उपयोग हेतु नही है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2019 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है। उक्त रास्ते की आराजी विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज होने से व उनके द्वारा थोहर व छड़िया लगाकर रास्ता बन्द करने से तथा विपक्षी संख्या 4 राजस्व रेकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज करने हेतु सक्षम होने से पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 27.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट चाही गयी तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली

की गई। मौका रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर के अनुसार प्रार्थी रंगलाल, गोपीलाल पिता हुक्मा बाली पुत्री हुक्मा कुम्हार निवासी शिवनाथपुरा ने ग्राम शिवनाथपुरा मे स्थित खातेदारी आराजी नम्बर 125 रकबा 0.75 है0 आने जाने हेतु रास्ता हेतु वाद पेश किया उक्त आराजी पर आने जाने हेतु मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नही है। प्रार्थी ने प्रतिवादीगण रामेश्वर, अम्बु पिता नाथु मथरी बेवा नाथु कुम्हार के नाम दर्ज आराजी नम्बर 126 रकबा 0.5 है0 मे से उतरी मेड़ से आने जाने हेतु रास्ता चाहता है वर्तमान में आराजी नम्बर पर थोर की बाड़ लगी हुई है। प्रार्थी के आराजी के चारो तरफ खातेदारी भूमिया स्थित है वादी आराजी नम्बर 142 बिलानाम रास्ता व आराजी नम्बर 106 बिलानाम पेटा तालाब से होते हुए प्रतिवादी के आराजी नम्बर 126 के उतरी मेड़ से होते हुए अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 125 में आता जाता है इसके अलावा नक्शे व मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। वर्तमान में प्रार्थी बिन्दु संख्या 3 के अनुसार ही आता रहा है प्रार्थी आराजी नम्बर 126 की उतरी मेड़ पर 15 फीट चौड़ाई में रास्ता चाहता है जिसका रकबा 0.02 है0 अर्थात 200 वर्गमीटर हिस्सा आराजी नम्बर 126 का आता है जिसकी डीएलसी दर 117320 रू.प्रति बिघा के अनुसार 200 वर्गमीटर की राशि 10900 रू. बनती है का दुगुना राशि 21800 रू बनती है प्रार्थी के आराजी नम्बर 125 में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 126 की उतरी मेड़ पर लाल स्याही से दर्शाया गया है नक्शा की प्रति संलग्न है। उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है अतः ट्रेस में नही दर्शाया गया है।

मैने पत्रावली व उसमे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया तथा मामला रास्ते संबधित होने से मैने यह पाया कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 125 में आवागमन करने हेतु कोई रास्ता बना हुआ नही है तथा मौके पर रास्ता बन्द है प्रार्थीगण के बताये अनुसार विवादित रास्ता बन्द है तथा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा प्रार्थीगण की आराजी संख्या 125 में किधर से भी आया जाया नही जा रहा है अर्थात आवागमन करने हेतु तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्से एवं रिपोर्ट अनुसार विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 126 मे से 0.02 है0 अर्थात 200 वर्गमीटर भूमि में रास्ता बिलानाम दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण को दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम शिवनाथपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 125 में तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्से एवं रिपोर्ट अनुसार विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 126 मे रकबा 0.50 हैक्ट. मे से 0.02 है0 अर्थात 200 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 117320 रू. प्रति बिघा है तथा कुल 200 वर्गमीटर भूमि का 10900 रू. का दुगुना 21800 रू. का भुगतान विपक्षी संख्या 1 से 3 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर रास्ता बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा